

सी-स्कीम में अवैध निर्माणों की बाढ़!!
जिम्मेदार गहरी नींद के आगोश में!!
ना तो छोड़ रहे पार्किंग!!
और ना ही कर रहे सेटबैक नियमों की पालना!!
भू-उपयोग परिवर्तन तो दूर की बात!!
आवासीय भूखंडों पर ही हो रहा व्यावसायिक निर्माण!!



जेडीए के जोन-1 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या जे-32, बगड़िया भवन रोड, एफ-74 बगड़िया भवन रोड और एफ-10, बर्गर फार्म के सामने, सी-स्कीम पर बिना स्वीकृति के, बिना नक्शे पास करवाए, बिना पार्किंग व्यवस्था और बिना सेट बैक छोड़े हो रहा निर्माण!!

तबादलों के बाद लापरवाही की भेंट चढ़ा तंत्र सील इमारतों की निगरानी बंद, सूची भी नहीं अपडेट

फॉलोअप



वेचान के बाद रहने लगे थे लोग

पिछले वर्ष उप नियंत्रक को सील इमारतों को निगरानी की जिम्मेदारी दी थी। निगरानी के दौरान कई जगह बिल्डर ने जेडीए की सील तोड़कर फ्लैट्स का बेचान कर दिया था और लोग रहने लगे थे।

गृह प्रवेश के बाद कुछ नहीं हुआ: जगतपुरा स्थित औरियंटल आर्केड कॉलोनी में पांच मंजिला इमारत में 18 फ्लैट बने थे। नवम्बर-दिसम्बर, 2022 में 17 परिवारों को अवैध रूप से गृह प्रवेश करा दिया। जेडीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ रामनगरिया थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हाज्यावाला में जेडीए ने 30 मार्च, 2019 को एक इमारत सील की। बाद में निर्माणकर्ता ने अवैध इमारत की सील तोड़कर सात फ्लैटों में परिवार शिफ्ट करवा दिए।

पत्रिका में प्रकाशित

जयपुर @ पत्रिका. जेडीए की प्रवर्तन शाखा में भारी भरकम स्टाफ है। लेकिन, इसके बाद भी सील इमारतों की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है। जो तंत्र पहले से चल रहा था, वो तबादलों के बाद लापरवाही की भेंट चढ़ गया। शहर में अभी 185 अवैध इमारतें सील हैं। इनकी निगरानी नहीं हो रही है। जेडीए की वेबसाइट पर जो अवैध इमारतों और बिल्डिंग की सूची है, वो भी जून से अपडेट नहीं है।

निस्ताया की रांग

सी-स्कीम मे अवैध निर्माणों की बाढ़!! जिम्मेदार गहरी नींद के आगोश मे!!

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते अवैध निर्माणों में कमी आई है और जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति और नक्शे पास करवाने के बाद ही बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन बिल्डरों की मनमानी के सामने शायद यह जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो रही है। आपको बता दें कि विगत 5 सालों में जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा सैंकड़ों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाये गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों के साथ पॉश कॉलोनियों जैसे सी-स्कीम, मालवीय नगर आदि में इन अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई है।

चुनावी साल ने इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को और हवा दी है और लगता है आचार संहिता के चलते इन अवैध निर्माणों पर नकेल कसने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी का परिणाम है कि JDA के जोन-1 में आने वाली सी स्कीम में भी मानो अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है, इन अवैध निर्माणों के खेल में कोई पीछे नहीं नजर आ रहा है और हर तरह का अवैध निर्माण पूरे जोरों पर है वो चाहे अवैध होटल हो या फिर रफ टॉप या फिर अवैध बिल्डिंग।

बुधवार, 17 नवंबर, 2023

#citybuilding घर की बात होते-होते बन गया होटल, सील फ्लैट में रहने लगे लोग निगरानी तंत्र फेल, खुल रही सील इमारतें



जिम्मेदारों की लापरवाही

जयपुर, शहर में अवैध सील इमारतों को खोले जाने का काम जेडीए में शुरू हो गया है। एक के बाद एक अवैध इमारत खुलती जा रही है। पॉश इलाकों से लेकर नव विकसित इलाकों में इसी तरह से काम चल रहा है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा का निगरानी तंत्र फेल नजर आ रहा है। तभी तो घर को खात होते होते होटल बन गया और सील फ्लैट में लोग रहने लगे हैं। पत्रिका टीम ने जेडीए के जोन सात, पृथ्वीराज नगर से लेकर अन्य जोन में पड़ताल की तो चौकने वाली हकीकत सामने आई।



धरोहर राशि जमा कराई, काम शुरू

27 मार्च, 2021: जोन सात स्थित विपार कॉलोनी में 400 वर्गफुट के भूखंड पर भूसेन्ट और पांच मंजिला निर्माण को जेडीए ने अवैध मानते हुए सील कर दिया था।

वे बलाय कारण: बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सैन्टिक व बिल्डिंग बॉयलरों का गम्भीर कालेजिन करते हुए व्यावसायिक निर्माण और मय

निर्माण गलत मान काम रुकवाया, अब चल रहा होटल



सितम्बर, 2021: विनकूट योजना

में एक निर्माण को व्यावसायिक मानते हुए जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने काम रुकवा दिया। प्रवर्तन शाखा और जोन में लड़ाई इस तरह घली कि जोन से इस भूखंड की मूल प्रति की मांग्य कर दी गई।

कारण से बचाया: प्रवर्तन शाखा ने आवासीय अनुमति पर व्यावसायिक निर्माण की बात कही थी। अब ये हो रहा: मौके पर होटल चल रहा है।

कार्रवाई का आलम ये: एक फोन से वापस लौटा जडाए का दस्ता, जिम्मेदार अधिकारियों के अलग-अलग बयान प्रवर्तन शाखा में अफसरों की फौज, फिर भी अतिक्रमणकारियों की मौज



राजस्थान पत्रिका

जयपुर, जेडीए की प्रवर्तन शाखा में अधिकारियों की फौज है। इसके बाद भी अवैध निर्माण करने वाली से लेकर अवैध रूप से बॉयलेनी बनाने वाली की मौज है। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 और 13 के दो-दो हिस्से कर दिए। इसके बाद भी हालातों में कोई सुधार नहीं है। स्थिति यह है कि एक फोन पर जेडीए का रस्ता उल्टे पाव लौट आता है। सिवरी रोड पर सुक्रवार को ऐसा ही खबक्य हुआ। मुख्य नियंत्रक का कहना है कि फाइल पर आदेश नहीं हुए और प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) ने कहा कि



रातों रात बन गई आठ अवैध दुकानें

जोन-12 के सिवरी रोड पर कोई स्टे होने के बाद भी वीते वित्तों रातों रात अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया। शिकायतकर्ता ने जेडीए जोगजम और मुख्य नियंत्रक धर्मेश यादव से शिकायत की। जबकि, प्रवर्तन शाखा की ओर से 20 अक्टूबर को निर्माणकर्ता को

ईओ आरपी सिंह से सवाल-जवाब

सवाल: सिवरी रोड पर अवैध दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जवाब: पूरा जवान न आने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। बीच से ही टीम लौट आई थी। सवाल: अब कार्रवाई कब होगी? जवाब: अवैध निर्माणों के खतरन करने पर जेडीए की फाइल पर आदेश होते हैं। वो वहीं हुए थे। दस्ता को कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन अब उनको जानकारी हुई तो वापस आ गया।

आदेश नहीं हुए

अवैध निर्माण को खतरन करने के लिए जेडीए की फाइल पर आदेश होते हैं। वो वहीं हुए थे। दस्ता को कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन अब उनको जानकारी हुई तो वापस आ गया।

सर्वाधिक दस्ता, फिर भी फेल

प्रवर्तन शाखा में मुख्य नियंत्रक के अलावा पांच उप नियंत्रक के अलावा 17 ईओ जेडीए में तैनात हैं। पिछले पांच वर्षों को देखें तो इतनी संख्या

कमी नहीं रही। पिछले डेढ़ वर्षों की बात करें तो सात से आठ ईओ भी प्रवर्तन शाखा में थे। उप नियंत्रक भी दो-तीन ही रहे।



वर्तमान मे हो रहा निर्माण



आवासीय भूखंड संख्या जे-32 बगड़िया भवन,सी-स्कीम पर बिना अनुमति,बिना सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण।

आपको बता दे कि आवासीय भूखंड संख्या जे-32 बगड़िया भवन,सी-स्कीम पर शहर की प्रतिष्ठित गणगौर स्वीट्स का संचालन किया जा रहा है।लेकिन अब इसके एक भाग पर बिना अनुमति,बिना सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण किया जा रहा है।

पहले की फोटो



वर्तमान में हो रहा निर्माण



आवासीय भूखंड संख्या एफ-74, बगड़िया भवन, सी-स्कीम पर बिना अनुमति अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कर, रुफ टॉप रेस्टोरेंट का निर्माण।

आपको बता दे कि आवासीय भूखंड संख्या एफ-74, बगड़िया भवन, सी-स्कीम के ग्राउन्ड फ्लोर पर शहर के प्रतिष्ठित पपाया शेक का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अब इस बिल्डिंग की छत पर बिना अनुमति, एक फ्लोर डाल कर, रुफ टॉप रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा बाहर की तरफ लिफ्ट भी लगाई जा रही है।

पहले की फोटो



वर्तमान मे हो रहा निर्माण

आवासीय भूखंड संख्या एफ-10 ,
सी-स्कीम, बर्गर फार्म के सामने, पर
बिना अनुमति, बिना अनुमति, बिना
सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो
रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण।

आपको बता दे कि आवासीय भूखंड
संख्या एफ-10, सी-स्कीम, बर्गर फार्म के
सामने बिना अनुमति, बिना सेटबेक और
पार्किंग सुविधा के हो रहा
बिल्डिंग/होटल का निर्माण किया जा
रहा है।

क्या जेडीए करेगा इन तीनों बिल्डिंगों को जारी भवन निर्माण स्वीकृति की जांच?

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं।लेकिन इसके बावजूद बिल्डर उनको जारी की गयी भवन निर्माण स्वीकृति की शर्तों के विपरीत जाकर मौके पर स्वीकृत नक्शों का बोर्ड नहीं लगाकर,आवासीय पर व्यवसायिक निर्माण कर,अतिरिक्त तल का निर्माण,अतिरिक्त निवास इकाई बनाने,पार्किंग सुविधा नहीं छोड़ने,सेटबेक वॉयलेशन,फायर/सोलर/वर्षा जल पुनर्भरण इकाइयों की स्थापना नहीं करने जैसे विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं,जिनके विरुद्ध भवन निर्माण स्वीकृति निरस्त करने जैसे कड़े प्रावधान हैं। देखना यह है

कि आवासीय

भूखंड संख्या

जे-

32,बगडिया

भवन

रोड,एफ-74

बगडिया भवन

रोड और एफ-

10 सी-

स्कीम,बर्गर

फार्म के सामने,

पर बिना

स्वीकृति

के,बिना नक्शे

पास

करवाए,बिना

पार्किंग

व्यवस्था और

बिना सेट बेक

छोड़े बन रही

इन तीनों

बिल्डिंगों की

जिम्मेदार

अधिकारियों द्वारा जांच करवाई,जाकर कार्यवाही की जाती है या नहीं?

